राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–1) विभाग

क्रमांकः प0 3/12(1)कार्मिक/क–1/2019 जयपुर, दिनांकः 30 AUG 2019

आदेश

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र में आर्थिक सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2019 के द्वारा मंत्रालय की गजट अधिसूचना क्रमांक 5/7/2003–ईसीबी–पीआर दिनांक 22 दिसम्बर 2003 में संशोधन करते हुए यह प्रकाशित किया गया है कि एनपीएस में कर्मचारियों का अंशदान उनके मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत एवं केन्द्रीय सरकार का अंशदान मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 14 प्रतिशत होगा ।

अतः वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2019 के अनुसरण में सक्षम स्तर से स्वीकृति पश्चात् एतद्द्वारा आदेश जारी किये जाते हैं कि राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिये एनपीएस में अधिकारियों का अंशदान उनके मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का अंशदान मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 14 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से होगा । यह आदेश दिनांक 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा ।

यह आदेश वित्त विभाग की आई0डी0 संख्या 101903467 दिनांक 17.08.2019 से प्राप्त सहमति के अनुरूप जारी किया जाता हैं ।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर ।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), राजस्थान, जयपुर ।
8. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कार्मिक), राजस्थान, जयपुर ।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), राजस्थान, जयपुर ।
10. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
11. निदेशक, ह0च0मा0 राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर ।
12. आवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली ।
13. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम–II) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
14. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान, जयपुर ।
15. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।

(आशीष मोदी)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमशः.....2

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
3. सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
4. अतिरिक्त निदेशक एवं स्थापना अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
5. संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
6. संयुक्त सचिव (ईसीबी एवं पीआर), वित्तीय सेवाऐं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
7. संयुक्त सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
8. अवर सचिव (सेवायें), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

(आशीष मोदी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश की अनुपालना में दिनांक 01 अप्रैल 2019 से ऐरियर राशि भी आगामी मासिक अंशदान के साथ संबंधित अधिकारी के एनपीएस खाते में जमा कराना सुनिश्चित करावें ।

(आशीष मोदी)
संयुक्त शासन सचिव